कार्यालय – केन्द्रीय प्रतिलिपी शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक

क्रमांक :– 1430-1441 दिनांक :– 7.11.19

प्रेषिति :–

1. आदित्य फोटोकॉपियर्स, कलैक्टी के सामने, टोंक
2. दाधीच फोटो कॉपियर्स, कलैक्ट्री के सामने, टोंक
3. कुनाल कम्प्यूटर्स एण्ड फोटो कापियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
4. महक एण्टरप्राईजेज, कलैक्ट्री के सामने, टोंक
5. नारायणदास फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
6. ओमेगा कम्प्यूटर एण्ड फोटोकापियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
7. मै0 आर0आर0 विजयवर्गीय फोटो कॉपियर्स, टोंक
8. सुमित फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
9. गर्ग फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
10. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक
11. नोटिस बोर्ड जिला जन सम्पर्क कार्यालय टोंक
12. सिस्टम आफीसर जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक को जिला न्यायालय टोंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

विषय :– वर्ष 2020 में फोटोस्टेट पद्धति द्वारा प्रतिलिपियॉ तैयार करने के सम्बन्ध में निविदा

केन्द्रीय प्रतिलिपी शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक के अभिलेखों की फोटोस्टेट प्रतियां बनवाने हेतु श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय टोंक के आदेश क्रमांक स्थापना/2019/8182 दिनांक 04.11.2019 की पालना में निम्नांकित शर्तो पर निविदायें बन्द लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। निविदा में आटोमेटिक फोटो कॉपी मशीन द्वारा छोटी एवं बडी नकलों की दरें अंकित की जावें। प्रथम एवं द्वितीय के फोटो के न्यूनतम चार्जेज पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विचार किया जावेगा। न्यायालयों की सभी फोटो कॉपियां लीगल साईज के 70 GSM कागज पर की जावेंगी। निविदायें इस कार्यालय में दिनांक 20.11.2019 को दिन के 2:00 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जानी चाहिये। इसके बाद प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निम्न निविदा की शर्तो का पालन करने के लिये निविदा के साथ वचन पत्र संलग्न करना होगा। निविदायें दिनांक 21.11.2019 को सायं 4:00 बजे खोली जावेंगी। निविदा की निम्न शर्ते होंगी।

1. अभिलेखों की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने के लिये वचन पत्र देना होगा।
2. फोटोकॉपी साफ एवं सुपाठ्य होगीं।
3. न्यायालय परिसर से प्रतिष्ठान की दूरी 200 गज से अधिक नहीं होगी।
4. कार्यालय के प्रतिनिधि जिसको कार्यालय अधिकृत करेगा उसके माध्यम से ही फोटोकॉपी बनाई जावेगी।
5. प्रभारी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत की गयी प्रतिलिपियों को पुनः तैयार करनी होगी।
6. यह अनबंध वर्ष 2020 के लिए ही मान्य होगा एवं कार्य असन्तोषप्रद होने पर अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. प्रतिलिपी का नमूना टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा।
8. लाईट नहीं आने की स्थिति में जनरेटर द्वारा लाईट संचालित कर फोटोस्टेट कॉपी तैयार करवाई जावेगी।
9. फोटोकॉपी मशीन खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपी शाखा की अनुमति से की जावेगी।
10. निविदादाता को 2500/– रूपये की बैंक गारंटी भी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी जो कि निविदाकर्ता को अनुबंध की पूर्ण पालना होने पर समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। यदि निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध वर्ष में किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त बैंक गारण्टी प्रभारी अधिकारी नकल शाखा के आदेश के अध्याधीन जप्त कर ली जावेगी।
11. फोटो कॉपियर्स फोटो प्रति तैयार करने के बाद दस्तावेजात संबंधित कर्मचारी को सुरक्षित संभलायेगा।

प्रभारी अधिकारी (प्रतिलिपी शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक

Scanned by CamScanner